



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 829]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 2009/ज्येष्ठ 2, 1931

No. 829]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 2009/JYAISTHA 2, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2009

का.आ. 1334(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 8 मार्च, 2006 को सं. का.आ. 294(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

## संशोधन

जोन 'ओ' में 1.05 हेक्टे. माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
जोन 'ओ' में मदनपुर खादर	1.05 हेक्टे.	कृषि एवं जलाशय	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी सुविधाएं (कब्रिस्तान/शमशान)	पूर्व- खाली भूमि पश्चिम- मदनपुर खादर, जेजे कालोनी फेज-III के साथ 13.5 मी. मार्गाधिकार उत्तर- खाली भूमि दक्षिण- खाली भूमि

[फा. सं. के-13011/2/2001-डी डी I बी]

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2009

**S.O. 1334(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 294(E) dated 8th March, 2006 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modification:**

The land use of the following area measuring 1.05 ha falling in Zone 'O' is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Madanpur Khadar, in Zone-O	1.05 ha	Agricultural and Water Body	Public and Semi-Public Facilities (Graveyard/ Cremation Ground)	East— Vacant land West— Road 13.5 mt. R/W Madanpur Khadar Ph. III, J. J. Colony North— Vacant land South— Vacant Land

[F. No. K-13011/2/2001-D D I B]

P. K. SANTRA, Under Secy.